

प्रेषक,

एच०पी० सिंह  
विशेष सचिव  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभियान,  
उ०प्र०, लखनऊ।  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ०३ अक्टूबर, २०१७

विषय वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (एन०य०एल०एम०) के कार्यान्वयन हेतु  
अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-जी-२४०११/१५/२०१६-य०पी०ए०-१/एफटीएस:१६७७४ दिनांक २३.११.२०१६ द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-४३५५/१०/३०/७६/एक/२०१५-१६, दिनांक ०९.१२.२०१६ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु केन्द्रांश व राज्यांश की कुल धनराशि रु० २८१६.५० लाख (रु० ५० अ० ठाईस करोड़ सोलह लाख पचास हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


१. उक्त योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक २३.११.२०१६ में दिये गये शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
२. उक्त धनराशि का व्यय योजना के घटक/उपघटक हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में धनावंटन ६०:४० (केन्द्रांश व राज्यांश) के अनुपात में किया जायेगा।
३. चालू वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग, एस०ज०एस०आर०वाई०/एन०य०एल०एम० योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ से अवमुक्त धनराशि यदि कोई हो, का अंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप-पर व वार्षिक आडिट रिपोर्ट भारत सरकार को भेजे जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रगति रिपोर्ट भी भारत सरकार को समय से भेजा जायेगा।
४. राज्य नगरीय विकास अभियान, उ०प्र० (सूडा) नोडल एजेन्सी, व्यय/धनराशि जारी करने के पूर्व आश्वस्त हो लेंगी कि योजना में भारत सरकार से समन्वय कर केन्द्रांश का आवंटन (एलोकेशन) प्राप्त हो गया है एवं योजना के अद्यावधिक संशोधनों/परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में सदुपयोग व योजना की अद्यावधिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही क्रियाव्यवन गुणवत्ता पूर्ण पारदर्शी ढंग से नोडल एजेन्सी/सूडा द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
५. उक्त अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्ययावर्तन अनुमन्य न होगा। अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि को जीएफआर-२००५ में किये गये प्राविधिक के अन्तर्गत व्याज सहित भारत सरकार को वापस करना होगा।
६. उक्त धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत उपघटकों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं योजना के दिशा-निर्देशों का समुचित अनुपालन करते हुये तदुसार मिशन डायरेक्टर के रूप में सूडा द्वारा इडा के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा।

क्रमशः.....२

मृग्नि / मृग्नि

७८६) टे ५.५० प.म ३१३११२

7. सूडा/झडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/वी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के संगत प्राविधिकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  8. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ द्वारा सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
  9. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाठचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।
  10. इस धनराशि का यथासमय/यथानिर्देश उपयोग के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
  11. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र० लखनऊ आहरण की वर्धान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायें।
  12. स्वीकृति की जा रही धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जिन्हीं दिनांक 31.03.2017 तक व्यय हो सके।
2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2230-श्रम तथा रोजगार-02-रोजगार सेवायै-101-रोजगार सेवायै-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायै-0103-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-य०आ०-ई-8-196/दस-2017, दिनांक 25 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
 (एच०प०० सिंह)  
 विशेष सचिव।

संख्या- ५२/२०१७/२७३८(१)/६९-१-१६-१४(१००)/२०१४, दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय , 30प्र०, 20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय , 30प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जगहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1।
7. नियोजन अनुभाग-1/4
8. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/ कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,

  
 (अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
 अनु सचिव।